यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)

न अधिकारीः— श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस.

संख्याः— 04 / 2022

तारीख दायर—14.03.2022

तारीख निर्णय—13.03.2026

श्री भगा पिता धन्ना मीणा निवासी घाटीफला लसाडिय, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।

श्री भेरा पिता देवा मीणा निवासी घाटीफला, तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।

........वादीगण

बनाम

(1) श्री कन्हैयालाल पिता देला राम मीणा निवासी रेलमहुडी, टटाकीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।

–2 श्री प्रकाश पिता देलाराम मीणा निवासी रेलमहुडी, टटाकीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।

–3 श्री मुकेश पिता देलाराम मीणा निवासी रेलमहुडी, टटाकीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।

1–4 श्रीमती प्रतापी पुत्री देलाराम मीणा निवासी रेलमहुडी, टटाकीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।

1–5 श्रीमती पारू पुत्री देलाराम मीणा निवासी ध रेलमहुडी, टटाकीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।

1–6 श्रीमती हिरकी पत्नी देलाराम मीणा निवासी रेलमहुडी, टटाकीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।

2 श्री नाथू पिता अमरा मीणा निवासी रेलमहुडी ग्राम पंचायत टटाकीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

3 श्रीमती वेलकी पत्नी गोतिया मीणा निवासी रेलमहुडी ग्राम पंचायत टटाकीया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

4 श्री उदा पिता रकबा मीणा निवासी घाटीफला, लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

5. श्री कजोड पिता रकबा मीणा निवासी घाटीफला, लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

6. श्रीमती केशरी पुत्री पन्ना मीणा निवासी घाटीफला, लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

7. श्रीमती कालकी पुत्री पाला मीणा निवासी घाटीफला, लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

8. श्रीमती जमनी पुत्री पीथा मीणा निवासी घाटीफला, लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

9. श्रीमती दोलकी पत्नी पीथा मीणा निवासी घाटीफला, लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

10. श्रीमती नानी पुत्री पन्ना मीणा निवासी घाटीफला, लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

11. श्रीमती नाराणी पुत्री पीथा मीणा निवासी घाटीफला, लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

2. श्रीमती पुरकी पुत्री देवा मीणा निवासी घाटीफला, लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
3. श्री बाबरू पिता पाला मीणा निवासी घाटीफला, लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
4. श्रीमती मीरा पुत्री पाला मीणा निवासी घाटीफला, लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
5. श्रीमती मोवनी पुत्री पन्ना मीणा निवासी घाटीफला, लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
6 श्रीमती रूकमणी पुत्री रकबा मीणा निवासी घाटीफला, लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
7 श्री राजीया पुत्र पाला मीणा निवासी घाटीफला, लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
8. श्रीमती रोडकी पुत्री पिथा मीणा निवासी घाटीफला, लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
9. श्रीमती हिरकी पत्नी पन्ना मीणा निवासी घाटीफला, लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
10. श्री हीरा पुत्र पाला मीणा निवासी घाटीफला, लसाडिया तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)
11. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार लसाडिया।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री पुष्कर लाल मीणा
प्रतिवादी की ओर से– जॉनी जैन

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा लसाडिया पटवार क्षेत्र लसाडिया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 814 व पुराना 130 में वर्णित आराजी नम्बर 1644 रकबा 0.5292 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1645 रकबा 1.7496 हैक्टेयर, भूमि स्थित है। उक्त आराजियात भूमि पर वादीगणों एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नही दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

प्रकरण पेश होने पर वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगणों द्वारा जवाब पेश नही किये जाने से प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया व प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगणों का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। मौजा लसाडिया पटवार क्षेत्र लसाडिया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 314 व पुराना 130 में वर्णित आराजी नम्बर 1644 रकबा 0.5292 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1645 रकबा 1.7496 हैक्टेयर, भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)